

बिहार सरकार
कृषि विभाग
भूमि संरक्षण निदेशालय।

पत्र सं०- 11/कृ.नि.भू.सं.(बजट)03/2015-
प्रेषक,

03

/भू०सं०, पटना, दि० 16/4/2015

रामजी सिंह, बि०प्र०से०
संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

उप निदेशक (शष्प) भूमि संरक्षण
मुख्यालय, बिहार, पटना।

विषय : गैर योजना मुख्य शीर्ष- 2402 मृदा तथा जल संरक्षण, उपमुख्य शीर्ष- 00, लघुशीर्ष- 001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष- 0001 मुख्यालय स्थापना, मांग संख्या- 01, विपत्र कोड- एन2402000010001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु बजट आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल उपबंधित राशि 1,82,45,000/- (एक करोड़ बेरासी लाख पैतालीस हजार) का 33.33 प्रतिशत 1,34,01,400/- (एक करोड़ चौतीस लाख एक हजार चार सौ) रु० मात्र को निम्न प्रकार से आवंटित किया जाता है :-

क्र० सं०	विषय शीर्ष एव कोड		उपबंध	आवंटित राशि
1	2		3	4
1	01 01	वेतन	7,154,000.00	2,384,000.00
2	01 03	जीवन यापन भत्ता	8,442,000.00	2,814,000.00
3	01 04	मकान किराया भत्ता	1,431,000.00	477,000.00
4	01 05	परिवहन भत्ता	140,000.00	47,000.00
5	01 06	चिकित्सा भत्ता	58,000.00	19,000.00
6	01 07	अन्य भत्ता	20,000.00	7,000.00
योग : -			17,245,000.00	5,748,000.00
7	06 01	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	50,000.00	17,000.00
8	11 01	यात्रा व्यय	100,000.00	33,000.00
9	13 01	कार्यालय व्यय	200,000.00	67,000.00
10	13 02	वाहन का इंधन एवं रख-रखाव	100,000.00	33,000.00
11	13 03	दूरभाष	60,000.00	20,000.00
12	13 05	विधि प्रभार	50,000.00	17,000.00
13	13 06	वर्दी/पोशाक	30,000.00	10,000.00
14	20 03	प्रशिक्षण व्यय	50,000.00	17,000.00
14	26 01	विज्ञापन और प्रकाशन	10,000.00	3,000.00
15	28 01	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ	350,000.00	117,000.00
योग : -			1,000,000.00	334,000.00
कुल योग : -			18,245,000.00	6,082,000.00

(शब्दों में राशि :- साठ लाख बेरासी हजार)

2. आवंटित राशि 60,82,000/- (साठ लाख बेरासी हजार) रु० मात्र की निकासी गैर योजना मुख्य शीर्ष- 2402 मृदा तथा जल संरक्षण, उपमुख्य शीर्ष- 00, लघुशीर्ष- 001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष- 0001 मुख्यालय स्थापना, मांग संख्या- 01, विपत्र कोड-

एन2402000010001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कुल उपबंधित राशि 1,82,45,000/- (एक करोड़ बेरासी लाख पैतालीस हजार) रु0 से की जायेगी।

3. वर्ष 2014-15 अथवा पूर्व के लम्बित दायित्वों का भुगतान वर्ष 2015-16 के बजटीय उपबंध/आवंटन के संबंधित शीर्ष/विषय शीर्ष में प्रावधानित राशि से किया जा सकेगा।

4. राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में की जाए।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

6. आवंटन से अधिक की निकासी किसी भी स्थिति में नहीं की जाय अन्यथा पूरी जिम्मेवारी आपकी होगी।

7. मासिक व्यय प्रतिवेदन (बिना टी0भी0नम्बर/टी0भी0नम्बर) समय पर भेजना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

(15/16/4/15)
(रामजी सिंह)

संयुक्त सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 03

भूमि संरक्षण, पटना, दिनांक 16/4/2015

प्रतिलिपि : 1. महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(15/16/4/15)
संयुक्त सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 03

भूमि संरक्षण, पटना, दिनांक 16/4/2015

प्रतिलिपि : 1. निदेशक भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/व्यय प्रतिवेदन प्रभारी एवं लेखा शाखा, भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक (सूचना) कृषि विभाग, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(15/16/4/15)
संयुक्त सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।